

**बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग**

संचिका संख्या: वि० 1-19/1997-416.

/पटना, दिनांक:- 12. अप्रैल, 2025

अधिसूचना

एस०ओ०- बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-7 की उपधारा (1) (2) (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बजाज हिन्दुस्थान सुगर लि० के आरक्षित क्षेत्र के लिये मैरवा क्षेत्रीय विकास परिषद् का तीन वर्षों के लिये पुनर्गठन करते हैं। इसके पुनर्गठन की तिथि से पूर्व में इस आरक्षित क्षेत्र के लिये गठित परिषद् स्वतः विघटित समझी जायेगी। पुनर्गठित क्षेत्रीय विकास परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. जिला पदाधिकारी सह-समाहर्ता, सिवान | — | अध्यक्ष |
| 2. ईख पदाधिकारी, सिवान | — | सचिव |
| 3. सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान | — | सदस्य |
| 4. जिला अभियन्ता, सिवान | — | सदस्य |
| 5. चीनी मिल के परम्परागत आरक्षित क्षेत्र से गन्ना क्रय करने वाली चीनी मिल के महाप्रबंधक/दखलकार के प्रतिनिधि श्री नागेन्द्र नाथ दीक्षित, ग्राम-हरपुर, पोस्ट-शाहपुर, जिला-सिवान, मोबाईल संख्या-9431113731 | — | सदस्य |
| 6. ईखोत्पादक प्रतिनिधि :- | | |
| (क) श्री संदीप कुमार सिन्हा,
पिता-स्व० नन्द किशोर नारायण सिन्हा,
ग्राम-फतेहपुर, पोस्ट-सिवान,
जिला-सिवान, मोबाईल संख्या-9431448519 | — | सदस्य |
| (ख) श्री संजय कुमार पाण्डेय,
पिता-श्री अवधेश कुमार पाण्डेय,
ग्राम-फतेहपुर, पोस्ट-सिवान,
जिला-सिवान, मोबाईल संख्या-9431448665 | — | सदस्य |
| (ग) श्री शिवनाथ राम
पिता-स्व० भवसागर राम,
ग्राम-सिहोरवा, पोस्ट-पचफेरा,
जिला-गोपालगंज, मोबाईल संख्या-8709954851 | — | सदस्य |
| (घ) श्री नन्दलाल साह
पिता-श्री शिवबचन साह,
ग्राम-बिसुनपुरा, पोस्ट-जगशिसपुर,
जिला-सिवान, मोबाईल संख्या-9661259509 | — | सदस्य |

बिहार राज्यपाल के आदेश से


सचिव।

(2)

ज्ञाप संख्या: वि० 1-19/1997-416.

/पटना, दिनांक:- 12 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी, वित्त विभाग (ई-गजट, प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 (एक सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ गन्ना उद्योग विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या: वि० 1-19/1997-416.

/पटना, दिनांक:- 12 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय विकास परिषद्, मैरवा के अध्यक्ष/सदस्य सचिव एवं अन्य सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या: वि० 1-19/1997-416.

/पटना, दिनांक:- 12 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या: वि० 1-19/1997-416.

/पटना, दिनांक:- 12 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि :- आई०टी०प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव।